राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची
(झारखण्ड सरकार का एक स्वयतशासी संस्थान)

Confidential
RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RANCHI
(An Autonomous Institute of Govt. of Jharkhand)

Prof. (Dr.) Raj Kumar
Director and Chief Executive Officer
(MS, M.Ch, Ph.D (Ayur), D.Sc., FRCS, FAMS, FNS, FASET, MRCS, MNASc)

Memo No. : 00
Date : 08/6/26

सेवा में,
माननीय मंत्री,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड –सह–
अध्यक्ष, शासी परिषद, रिम्स, राँची।

विषय –स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष, शासी परिषद को अंधेरे में रखकर मेरे ऊपर दुर्भावना ग्रस्त कार्रवाई और लगातार परेशान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भवदीय को सूचित करना है कि मैं निदेशक रिम्स के पद पर दिनांक 12.02.2024 को योगदान करने के फलस्वरूप योगदान की तिथि से रिम्स के चौहुमुखी विकास, मरीजों के मिलने वाली आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, पुराने एवं जर्जर भवनों के जीर्णोद्वार कार्य, विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रारंभ करने, सीट बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगा हुआ हुँ। किंतु विगत 01 वर्ष से भवदीय को अंधेरे में रखते हुए विभागीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा मेरे ऊपर लगातार उत्पीड़क कार्रवाई करते हुए रिम्स के पद से हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में भवदीय को निम्नांकित तथ्यों से अवगत कराना है–

1. प्रथम बार दिनांक 15.04.2025 को आयोजित शासी परिषद की 59वीं बैठक में विगत बैठक की कुछ अवैध भुगतान एवं बिन्दुओं पर अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर बैठक में लगातार दबाव बनाया गया और अकारण अपुष्ट धमकाया गया।
2. दिनांक 16.04.2025 को जब मैं Tribal commission दिल्ली में रिम्स के एक पुराने केस की पैरवी पर गया था। भवदीय के स्तर से निर्गत पत्रांक 280/गो0 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा यह गलत आरोप लगाते हुए कि निदेशक रिम्स के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मंत्रिपरिषद, शासी परिषद तथा विभाग द्वारा लोकहित में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्धेश्यों को पूर्ण करने में मेरी सेवा संतोषजनक नहीं बताकर, निदेशक रिम्स के पद से तत्काल हटाये जाने का आदेश पारित कराया गया।
3. उपरोक्त के विरूद्ध मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद 2158/2025 दायर किया गया जिसके एक हफ्ते बाद उच्च न्यायालय ने मेरे termination पर stay लगा दिया तथा अगली तारीख पर Advocate General ने termination order को गलत मानते हुए उसे वापस ले लिया।
4. उपरोक्त कोर्ट आदेश के आलोक में दिनांक 09.05.2025 को Termination withdrawal (कोर्ट के आदेश पर) के साथ ही भवदीय के स्तर से पत्रांक 363/गो0 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा मुझे 11 बिन्दुओं पर Show Cause दिया गया। सभी बिन्दुओं पर मेरे उपर गलत आरोप लगाये गये ।

Administrative Block,
Rajendra Institute of Medical Sciences,
Bariatu, Ranchi, Jharkhand, PIN-834009

Phone : +91-0651-2541533
Email : directorrimsranchi@gmail.com

उपरोक्त लगाये गये सारे आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे थे। मेरे द्वारा सभी कंडिकाओं का जवाब दिया गया था। उक्त Show Cause में इस बार मेरे साथ –साथ मेरे बेटे रिषभ कुमार के मास्टर इन हॉस्पीटल एडमिनिस्ट्रेशन में नामांकन को भी उछाला गया।

5. Show Cause का जवाब ससम्मानपूर्वक मैंने साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किए, किन्तु मुझे निदेशक के पद से हटाने के लिए पुनः परिचारित माध्यम से शासी परिषद के सदस्यों से मुझे हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अभियान छुप–छुप चलाने की कार्रवाई की गई। मुझे तब यह कार्रवाई के संबंध में ज्ञात हुआ जब स्थानीय अखबार में खबर प्रकाशित की गई। स्थानीय माननीय विधायक, काँके तथा माननीय सासंद (केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री) जो शासी परिषद के मानद सदस्य भी हैं, उन्होनें प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया कि जब निदेशक रिम्स को माननीय न्यायालय द्वारा दुबारा बहाल किया गया है तो दुबारा हटाने का क्या औचित्य है। इस संबंध में भवदीय को यह भी अवगत कराना है कि परिचारित माध्यम से भेजी गया प्रस्ताव निदेशक रिम्स (सदस्य सचिव, शासी परिषद) को भेजा ही नहीं गया, और आज तक उसकी प्रति भी उपलब्ध नहीं करायी गई है।
6. परिचारित माध्यम से करायी गई शासी परिषद की कार्यसूची, कार्यवाही रिम्स को उपलब्ध नहीं करवाना रिम्स नियमावली के विरूद्ध है।
7. मैने Show Cause के विरूद्ध भी दिनांक 02.07.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में वाद 3502/2025 दायर किया। जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी।
8. परिचारित माध्यम से जब सभी सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं हो पाया तब 61वीं शासी परिषद की बैठक में इनके द्वारा मुझे हटाने से संबंधित एजेंडा रखवाया गया, परन्तू माननीय न्यायालय के निर्देश पर शासी परिषद की बैठक आयोजित होने तथा संभवत् माननीय न्यायालय द्वारा शासी परिषद की बैठक के लिए नियुक्त Observer की उपस्थिति के कारण मेरे एजेंडा पर विमर्श नहीं कराया गया।
9. इधर मिडिया के ग्रुप में अर्ध्य सत्य तथ्यों पर खबर बनाकर व्यक्तिगत निदेशक को target किया जाने लगा। खबरें स्वास्थ्य विभाग से भेजी जाती थी।
10. स्थायी वित्त लेखा समिति की दिनांक 27.01.25 को आयोजित 12 बैठक में विभिन्न मुद्दों पर मुझपर दबाव बनाया गया।
11. 62वीं शासी परिषद में एजेंडा पुनः इन्हीं के द्वारा रखा गया, परन्तू माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही पर रोक रहने के कारण एजेंडा पर पुनः परिचर्चा नहीं की गई।
12. 63वीं शासी परिषद में एजेंडा इन्हीं के द्वारा पुनः रखवाया गया, परन्तू माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही पर रोक रहने के कारण एजेंडा स्थगित करवा दी गई।
13. 64वीं शासी परिषद में एजेंडा पुनः रखा गया, इस बार विमर्श के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में उक्त वाद के निष्पादन (disposal) हेतु निदेशक के स्तर से Interlocutory Application (IA) दाखिल करने का निर्णय लिया गया। परन्तू बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु भेजे गये ड्राफ्ट प्रति दो माह से अधिक समय तक संचिका नहीं लौटा एवं कार्यवाही को संशोधित करते हुए पूरा निर्णय ही बदल दिया गया। जिसपर उल्लेखित किया गया कि – ..... शासी परिषद् की 60वीं बैठक दिनांक– 19.06.2025 में इस विषय पर विचार किया गया तथा डॉ० राजकुमार से इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। श्री राजकुमार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर परिषद् की 62वीं बैठक दिनांक 09.10.2025 तथा 63वीं बैठक दिनांक–12.11.2025 में पुनः विचार–विमर्श किया गया। जिसमें संबंधित अभिलेखों, प्रस्तुत तथ्यों एवं स्पष्टीकरणों की समीक्षा की गई। शासी परिषद् द्वारा श्री राजकुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया।

उक्त समस्त तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में लंबित वाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासी परिषद् की 64 वीं बैठक दिनांक–03.02.2026 में इस विषय पर पुनः विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा पूर्व में पारित न्यायालयीय आदेशों के आलोक में शासी परिषद् का पक्ष विधिवत् रूप से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष समुचित तथ्यों एवं अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना है।

अतः इस क्रम में यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में Interlocutory Application (I.A.) दायर कर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित तथ्यों, शासी परिषद् द्वारा की गई विचार–प्रक्रिया तथा शासी परिषद् के निर्णयों को विधिवत् रूप से अभिलिखित कराया जाए, ताकि लंबित वाद के निष्पादन में न्यायालय को आवश्यक तथ्यात्मक एवं प्रशासनिक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराई जा सके।

14. इधर विभागीय अपर मुख्य सचिव के स्तर से लगातार शासी परिषद की बैठकें तथा स्थायी वित्त एवं लेखा समिति की बैठकों की तिथि निर्धारित कर भेजी जाने लगी, जबकि सदस्य सचिव होने के नाते सदस्य सचिव के स्तर से उचित एजेंडा तैयार करने के उपरांत बैठक की तिथि हेतु अध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है।
15. स्थायी वित्त लेखा समिति की दिनांक 28.04.2026 को आयोजित 14 बैठक में पुनः निविदा प्रकाशन सक्षम प्राधिकार से नहीं रहने की शिकायत पर फिर से मुझपर दबाव बनाया गया। दिनांक 28.04.2026 के अगले ही दिन विभिन्न समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित कराया गया जिसमें उल्लेखित किया गया कि बगैर अनुमोदन जारी टेंडर की होगी जाँच, जबकि इस प्रकार रिम्स के द्वारा इस प्रकार के कोई भी निविदा बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के नहीं प्रकाशित किये गये हैं।
16. पुनः मेरे पुत्र के सीनियर रेजीडेंट/टयूटर में चयन को लेकर स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक सं0सं0 11/रिम्स/(विविध) –07–01/2026 78(11) राँची दिनांक 01.04.2026 के द्वारा इनके योगदान को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है और प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित कर दी गई है।
17. विदित हो कि मेरे पुत्र का अस्पताल प्रबंधन में कोर्स पूरा हो गया। अस्पताल प्रबंधन के सीनियर रेजीडेंट के लिए निकाले गये विज्ञापन में अनारक्षित कोटि के लिए एकमात्र उम्मीदवार रखने के कारण डीन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा इनका चयन किया गया एवं नियुक्ति पत्र निर्गत होने के फलस्वरूप अस्पताल प्रबंधन में योगदान किये।
18. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक सं0सं0 11/रिम्स/(विविध) –07–01/2026 78(11) राँची दिनांक 01.04.2026 के द्वारा इनके योगदान को अगले आदेश तक के लिए अवैध तरह से स्थगित किया गया है और प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित कर दी गई है।
19. संबंधित विषय में मेरे पुत्र द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में वाद संख्या WP(C)(Filing) No. 5710 /2026 दायर किया गया और उस पर स्पष्ट अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.05.2026 को पारित किया गया है, जिसपर उल्लेखित है –

"…Chairman of Governing body has no authority whatsoever to issue such direction and it is only the Governing Body, who will take a decision."

"…However, looking to the urgency as well as career of the petitioner, who had just started his career, the orders dated 08.04.2026 and 01.04.2026 shall remain stayed till further orders."
20. फिर भी निदेशक, रिम्स को प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के समक्ष दिनांक 19.05.2026 को संबंधित मामले में सभी कागजातों के साथ स्टे रहने के वाबजूद उपस्थित रहने का निदेश दिया गया तथा जाँच जारी रखी गयी।

21. चूँकि विषय Sub-judice है, जिसपर अंतिम फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित है। इस प्रकार की जाँच जारी रखना न तो नियमसंगत था न ही मान्य था, साथ ही माननीय न्यायालय के आदेश का अवमानना है।
22. मैंने इस संबंध में माननीय न्यायालय का हवाला देते हुए भवदीय से भी दो बार जाँच को तत्काल प्रभाव से बंद कराने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के आलोक कहना है कि शासी परिषद की बैठकों में मुझे लगातार target करने, व्यंगात्मक टिप्पणियाँ करने, प्रायः अपने निर्णय को शासी परिषद को थोपने (विडियो रिकोर्डिंग उपलब्ध) तथा विभागीय स्तर से की गई नियमविरूद्ध कार्रवाई के कारण मुझे विगत एक वर्षों से काफी परेशानियों का सामना एवं काफी अधिक मानसिक पीड़ा भी हुई है। मेरे साथ साथ रिम्स एवं स्वास्थ्य विभाग की भी छवि धूमिल हुई है। फिर भी मैं लगातार रिम्स के सफल संचालन एवं विकास के लिए के वचनबद्ध हूँ, और अपने कर्त्तव्यों का पालन निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहा हूँ।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि मेरे उपर लगातार विभागीय स्तर से किये जा रहे उत्पीड़क कार्रवाई को समाप्त करवाने की कृपा की जाय एवं रिम्स के चौहुमुखी विकास एवं सफल संचालन के लिए आपसी सामज्य स्थापित करने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

08/6/26

(डॉ0 राजकुमार)
निदेशक,
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।